कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः–1339 / 12-1 दिनॉकःदेहरादून - 26 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पेय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार कि0मी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/67274/2020)।

सन्दर्भः–

1. भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8 बी/यू0सी0पी0/06/20/2022/एफ0सी0/1325 दिनांक–03.01.2023।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3175/12–1(2) दिनांक 19–05–2023 एवं पत्रांक 1278/12–1(2) दिनांक 17.11.2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 03.01.2023 द्वारा चाही गयी कतिपय बिन्दुओं की सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के सन्दर्भित पत्रों से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 स्वंय सी0ए0 क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा सी0ए0 हेतु वृक्षारोपण के लिए एम0डी0एफ0 क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में अपनी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित निरीक्षण रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–01)
2	राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 4.25 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किया गया है, जो कि एफ0सी0ए0 1980 के नियमों का उल्लघंन है। अतः सम्बन्धित डी0एफ0ओ0 से अनुरोध है कि प्रस्ताव में गाईडलाईन पैरा 1.21 के तहत एफ0सी0ए0 1980 के नियमों में हुए उल्लघंन हेतु की गयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि टी0एन0 गोडावर्मन बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.1996 को पारित आदेश अनुसार 'वन' को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार 'समस्त भूमि जो शब्दकोष के अनुसार वन है, सरकार अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज है अथवा वन के रूप में मान्यता प्राप्त है चाहे उक्त पर सरकार का स्वामित्व हो या निजी व्यक्ति का वन मानी जायेगी।' चूंकि

		विषयक हल्का वाहन मार्ग का निर्माण सिविल भूमि पर उक्त आदेश पारित किये जाने के पूर्ण किया गया है। अतः संभवतः तत्समय मार्ग निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। **(संलग्नक–02)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या।337 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।